न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2018 नामान्तरकरण अपील

1. जयलाल मीणा पुत्र मुन्नालाल जाति मीणा निवासी नागवाडा गूजरान तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. रघुनाथ पि. मु. पून्या
2. गैन्दीदेवी पत्नि रामसहाय
3. मूली पुत्री रामसहाय
4. प्रेम पुत्री रामसहाय
5. धप्पो पुत्र रामसहाय
6. शकुन्तला पुत्री रामसहाय
7. गुलाब पुत्री मुन्नालाल
8. हजारी पुत्र नारायण
   समस्त जाति मीणा निवासी नानगवाडा गूजरान तहसील बसवा जिला दौसा
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 115 आदेश दिनांक 26.09.2012 द्वारा तहसीलदार बसवा जिला दौसा

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।
3. श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 08 उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक: 10.9.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि आराजी खसरा नं. 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 232 कुल किता 10 कुल रकबा 9 है0 एवं ख.न. 224 व 231 कु किता 2 कुल रकबा 3.32 है0 सम्पूर्ण भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 12.21 है0 वाके मौजा नानगवाडा गूजरान तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। जिसके खातेदार हजारी पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 व अपीलान्ट का बाबा रामसहाय पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के खातेदार काबिज काश्तकार थे। उक्त खातेदार रामसहाय के सजरा खानदान के अनुसार रामसहाय के दो पुत्र मुन्नालाल एवं रघुनाथ तथा पांच पुत्रियां रेस्पोडेन्ट नं. 02 लगा. 06 गैन्दी, मूली, प्रेम,धप्पो और शकुन्तला हुए एवं मुन्नालाल के एक पुत्र अपीलान्ट एवं एक पुत्री रेस्पोडेन्ट नं. 07 हुए। रेस्पोडेन्ट नं. 01 रघुनाथ पून्या के गोद चला गया। अपीलान्ट के पिता मुन्नालाल का देहान्त हो जाने पर स्व. रामसहाय एक मात्र पुरूष वारिस जयलाल मीणा (अपीलान्ट) ही शेष रहा। परन्तु रामसहाय की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट नं. 01 रघुनाथ व रेस्पोडेन्ट नं. 08 हजारी ने सांठ–गांठ कर अपने आप को रामसहाय का पुत्र बताते हुए

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

रामसहाय की विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया। उक्त नामान्तरकरण सं. 115 दिनांक 26.09.2012 ग्राम नानगवाडा गूजरान तहसील बसवा जिला दौसा के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगा0 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 8 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्य को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि भूमि मुतदाविया पक्षकारान के दादा नारायण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी जिके साबिक खसरा नम्बर 58 रकबा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 59रकबा 48 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा थे जो नारायण के फौत होने पर हजारी व रामसहाय पिसरान नारायण के नाम संवत 2041 लगायत 2044 से पूर्व ही उनके नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। नारायण के दो पुत्र क्रमशः हजारी व रामसहाय हुए। तत्पश्चात रामसहाय के मुन्नालाल व रघुनाथ दो पुत्र हुए जिनमें से रघुनाथ संवत 2017 से पूर्व ही पून्या के गोद चला गया। जिस पर पून्या के फौत होने पर पून्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा का नामान्तरकरण रघुनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड हो गया। रघुनाथ का नारायण या रामसहाय की सम्पत्ति से व उनके परिवार से कोई लेना देना व सरोकार नहीं रहा है। हिन्दू विधि के अनुसार एक बार कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो उसको गोदग्रहिता पिता के वास्तविक पुत्र के रूप में गोदग्रहिता पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हो जाते हैं एवं प्राकृतिक माता पिता के परिवार से व उनकी सम्पत्ति से गोद जाने वाले पुत्र का कोई सम्बन्ध व सरोकार कानूनन नहीं रहता है। इस प्रकरण में रघुनाथ आज से अर्सा करीब 58 वर्ष पूर्व पून्या के गोद जा चुका था इसलिये नारायण के परिवार की सम्पत्ति अर्थात रासहाय की सम्पत्ति में उसका कोई अधिकार शेष गोद जाने के पश्चात नहीं रहा। अधिवक्ता अपीलांट ने खतौनी बन्दोबस्त संवत 2008 ग्राम नानगवाड़ा एवं खतौनी जमाबन्दी एकीकरण संवत 2017 ग्राम नानगवाड़ा एवं मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 की प्रतिपियों एवं विक्रयपत्र की प्रतिलिपि एवं धारा 151 जा0 फौ0 की प्रतिलिपियों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि एकीकरण से पूर्व खसरा नम्बर 56 पून्या वल्द जोहन के नाम अंकित थी तत्पश्चात उक्त भूमि एकीकरण में खसरा नम्बर 56 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा दर्ज हुई जो खतौनी एकीकरण में रघुनाथ पि0मु0 पून्या के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। तत्पश्चात हाल सेटलमेन्ट में उक्त खसरा नम्बर 56 के हाल नम्बरान खसरा नम्बर 214 व 215 को रघुनाथ ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर दिया जिसमें अपने आपको पून्या का दत्तक पुत्र होना दर्ज कर उक्त विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया है। इसके अतिरिक्त उक्त रघुनाथ को पुलिस थाना बांदीकुई द्वारा हाल ही में धारा 151 जा0 फौ0 के तहत गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तारी में रघुनाथ पुत्र पून्या दर्ज है एवं रघुनाथ ने इसी नाम से फर्द गिरफ्तारी पर अपने हस्ताक्षर किये हैं। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि रघुनाथ करीब 58 वर्ष पूर्व पून्या के गोद चला गया था। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में कथन किया कि प्रकारान मीणा जाति से संबंध रखते हैं जो अनुसूचित जनजाति है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा उनमें उन्हीं के सामाजिक उत्तराधिकार नियम लागू होते हैं जिनके तहत अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में किसी भी पुरूष सन्तान या उत्तराधिकारी के होते हुए किसी भी प्रकार का कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि हजारी नारायण का पुत्र नहीं होकर रामसहाय का पुत्र है तथा रामसहाय के 3 पुत्र अपीलांट के पिता मन्नालाल तथा हजारीलाल एवं रघुनाथ थे तथा तीनों ही पुत्रों को रामसहाय की सम्पत्ति में

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में प्रस्तुत वाद उनवानी रघुनाथ बनाम हजारीलाल वगैरा एवं न्याालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई में प्रस्तुत वाद जयलाल बनाम हजारीलाल वगैरा वाद पत्रों की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादों में जयलाल ने हजारीलाल को रासहाय का पुत्र होना व्यक्त किया है तथा अब अपील में उक्त जयलाल स्वयं ही हजारी को नारायण का पुत्र बताकर आता है जिससे स्पष्ट है कि हजारी, रामसहाय का ही पुत्र है। चूँकि नामान्तरकरण सन 2012 में खुल चुका है तथा नामान्तरकरण आदेशों को लगभग 6 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। इसलिये अपील कालबाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। हजारी वास्तविकता में नारायण का ही पुत्र है क्यों कि नारायण के फौत होने पर नारायण की विरासत का नामान्रतरकरण हजारी व रामसहाय दोनों के ही नाम दर्ज होकर उनके नाम नामान्तरकरण खुलने के आदेश करीब 45 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। उक्त नामान्तरकरण आदेश मात्र रामसहाय की विरासत का नामान्तरकरण है जो ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान का सजरा तैयार किये जाने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 8 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा बहस के दौरान किये गये कथनों एवं उनके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतियों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट नं0 1 को पून्या के गोद जाना व्यक्त किया गया है जबकि हजारी को नारायण का पुत्र बताया गया है। दूसरी ओर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा हजारी को नारायण का पुत्र नहीं होकर रामसहाय का पुत्र होना व्यक्त किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा मृतक रामसहाय के वारिसान का सजरा एवं इसके आधार पर तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया प्रश्नगत नामांतरकरण विवादास्पद एव प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक रामसहाय के विधिक वारिसान एवं पक्षकारान मीणा जाति के होने के कारण उनके उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रभावी नियमों के परिपेक्ष्य में बिना जांच किये तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण सं0 115 दिनांक 26.9.2012 ग्राम नानगवाड़ा गूजरान तहसील बसवा को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मृतक रामसहाय के विधिक वारिसान की जांच कर एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 के गोद जाने सम्बन्धी तथ्य को मध्यनजर रखते हुए मीणा जाति में उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का अवलोकन कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा